न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 45/06 राजस्व अपील (सीलिंग)

राजस्थान–सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल

–अपीलान्ट

: ब ना म :

1. लाधुराम पुत्र तारूराम जाति जाट साकिन रीडासर हाल चक 19 डी.डब्ल्यू.डी. तहसील पूगल जिला बीकानेर
1/1. बनवारी, 1/2. संतराम, 1/3. विद्या, 1/4. कलावती, 1/5. डाली, 1/6. अमकोरी, 1/7. विमला, 1/8. कान्ता, 1/9. राजू पिसरान लाधुराम जाति जाट साकिन चीन्दासर हाल चक 19 डी. डब्ल्यू.डी. तहसील पूगल जिला बीकानेर

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 23 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (सिलिंग) 1973

उपस्थितिः–

स्टेट की तरफ से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।
रेस्पोन्टान के अधिवक्ता श्री सतपाल साहू उपस्थित।

: नि र्ण य :

दिनांक 20.01.2020

1. स्टेट जरिये उपनिवेशन तहसीलदार, पूगल द्वारा यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम), बीकानेर के निर्णय दिनांक 12.04.05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत होने पर अपील अपीलान्ट सबजैक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जा कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की और से प्रारम्भिक आपति इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, साथ ही 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया व लिखित बहस भी प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट मियाद बाहर मानी जा कर खारिज किये जाने की इस्तदुआ की गई। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रकरण के अंतिम बहस की सुनवाई के समय उपर्युक्त प्रारम्भिक आपतियां प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार नहीं की जा कर उभयपक्षकारान की गुणावगुण पर बहस अंतिम सुनी गई।

2. स्टेट की और से विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.4.2005 में अप्रार्थी परिवार के सदस्यों की आयु संबंधी गणना भूमि के कमाण्ड होने की तारीख 23.7.87 के आधार पर की गई है, जो सही नहीं है। अप्रार्थी के परिवार के सदस्यों की आयु संबंधी गणना उपनिवेशन क्षेत्र में सिलिंग अधिनियम,1973 के लागू होने की दिनांक 06.4.73 के आधार पर की जानी चाहिए थी, जबकि गणना रेस्पोडेन्ट को भूमि प्राप्ति की तारीख से की गई है। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने की इस्तदुआ की गई। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा बहस में यह भी कथन किया गया कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। ऐसा विलम्ब राजकीय विभागों में होना सद्भाविक है। ऐसे सद्भाविक विलम्ब को माफ किया जा कर अपील अन्दर मियाद शुमार किए जाने की इस्तदुआ की गई।

जिला कलक्टर, बीकानेर

3. इसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.4.05 को निर्णय पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध राज्यपक्ष द्वारा अपील दिनांक 01.6.06 को प्रस्तुत की गई है। सिलिंग अधिनियम में प्रथम अपील हेतु 30 दिन की अवधि निर्धारित की गई है, जबकि अपील 416 दिन पश्चात् प्रस्तुत की गई है। मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना–पत्र वेग एवं काल्पनिक आधारों पर प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किये गये है। मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ जो शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है वह शपथ–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा तस्दीक नहीं है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन शपथ–पत्र तस्दीक करने हेतु सक्षम नहीं है। शपथ–पत्र वेग है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। अपील प्रोपरली प्रजेन्टेड नहीं होने के कारण सुनवाई हेतु ग्राहय नहीं है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट को उसकी आवाप्त शुदा भूमि के बदले ग्राम आनन्दगढ़ तहसील पूगल के ख.नं. 23 की 69 बीधा भूमि का आवंटन दिनांक 15.4.1986 को किया गया जिसकी समस्त कीमत जमा होने पर दिनांक 21.10.1986 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाकर आवंटन आदेश जारी किया गया। उक्त भूमि अपीलार्थी को एम.एफ.एफ.आर. में आवंटित हुई थी, जो कि बारानी थी। दिनांक 23.7.1987 को कमाण्ड एरिया धोषित किया गया है। रेस्पोडेन्ट को जो भूमि एम.एफ.एफ.आर. में आवंटित हुई थीं वह सिलिंग से मुक्त थी। सिलिंग सीमा के प्रावधान दिनांक 6.4.1973 से प्रभावी हुए थे, परन्तु उस समय रेस्पोडेन्ट सिलिंग सीमा से अधिक भूमि एग्जिस्ट ही नहीं करता था। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत रिटर्न एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट के पुत्र बनवारी की आयु वर्ष 1973 में 8 वर्ष दर्ज की गई है, जो वर्ष 1987 में 22 वर्ष बनती है, जिससे स्पष्टतया भूमि धारण की दिनांक 28.01.1987 को रेस्पोडेन्ट के परिवार में एक बालिग पुत्र था। दिनांक 23.7.1987 को कमाण्ड एरिया धोषित होने के फलस्वरूप रेस्पोडेन्ट के बालिग पुत्रों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह उचित एवं विधिसंगत है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस का समापन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने की इस्तदुआ की गई। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के समर्थन में नजीरात 1967 ए.आई.आर. राजस्थान पेज 24, 1991 आर.आर.डी. पेज 164, 1998 आर.आर.डी. पेज 349 एच.सी., 1982 आर.आर.डी. पेज 230, 1984 आर.आर.डी. पेज 261, 2002 आर.आर.टी. (1) पेज 33, 2007 आर.आर.टी.(2) पेज 788 एच.सी., 2008 आर.आर.टी. (2) पेज 1408, 2009 आर.आर.टी. पेज 432, 1975 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 80 एच.सी., 1985 आर.आर.डी. पेज 43 एवं 1961 आर.आर. डी. पेज 174(ए) प्रस्तुत की।

4. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जहांतक अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर ही अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे, दौराने बहस प्राथमिक रूप से निवेदन किया तथा इस संबंध में नजीरातें भी प्रस्तुत की गई। हमने विद्वान रेस्पोडेन्ट की इस संबंध में की गई बहस पर मनन किया एवं नजीरातों का ससम्मान अवलोकन किया। यह सही है कि अपीलान्ट द्वारा अपील अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं उसके समर्थन में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उपनिवेशन तहसीलदार, पूगल द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र में विलम्ब का कारण भी स्पष्ट किया है। यह विलम्ब राजकीय विभागों में लगना सद्भाविक है। सद्भाविक विलम्ब को माफ किया जाना ही न्यायहित में होगा। ऐसी स्थिति में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

5. सिलिंग अधिनियम की धारा 9 के अनुसार इस अधिनियम के आरम्भ होने की तारीख के या इससे कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम में प्रभावित किये गये के सिवाय उस पर प्रयोज्य अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक कृषि भूमि को किसी भी हैसियत से तथा किसी भी प्रकार की अवधि के अधीन अपने कब्जे में धारित या प्रतिधारित नहीं करेगा। इसी प्रकार धारा 7 के परन्तुक अनुसार :– परन्तु यह कि सरकार की लागत पर निर्मित किसी सिंचाई परियोजना के परिणामस्वरूप कोई संपरिवर्तन हो जाता है तो उक्त प्रकार से सम्परिवर्तित हुई भूमि को उक्त परियोजन के लिए संगणित किया जावेगा। इसी अधिनियम की धारा 17(1) के अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिन को एवं उससे किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भूमि क्रय, गिफ्ट, बंधक, समनुदेशन पट्टा (Assignment Lease), समपर्ण, न्यागमन (Devolution), वसीयत द्वारा अन्यथा इसतरह आवाप्त करना कि उससे उस पर प्रयोज्य अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक उसकी जोत में वृद्धि होने का प्रभाव पडे विधिसम्मत नहीं होगा एवं धारा 17(3) के अनुसार यदि इस अधिनिम के प्रारम्भ होने के दिन या उसके बाद कोई व्यक्ति उप धारा 1 में वर्णित किसी एक विधि से भूमि आवाप्त कर लेता है जो इस पर प्रयोज्य अधिकतम सीमा क्षेत्र में अधिक की जोत के रूप में उसकी सीमा को प्रभावित करता है तो वह ऐसी अवाप्ति से 60 दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी को धारा 10 के अनुसार एक विवरणी प्रस्तुत करेगा। इस प्रकार सिलिंग अधिनियम लागू होने के समय यदि किसी व्यक्ति के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि ना हो लेकिन बाद में भूमि कि किस्म परिवर्तन अथवा भूमि के अर्जन के कारण भूमि सिलिंग सीमा से अधिक हो जाती है तो उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार ऐसे मामलों में सिलिंग के प्रावधान लागू होंगें।

जिला कलक्टर, बीकानेर

6. रेस्पोडेन्ट की और से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 10 के अधीन भूमि धारण के संबंध में एवं परिवार के संबंध में जो विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया है उसका अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के धारण में उपर्युक्त भूमि अधिनियम की धारा 9, 7 के परन्तुक एवं 17(3) प्रावधानों के अन्तर्गत आने के कारण उपनिवेशन क्षेत्र में सिलिंग अधिनियम लागू होने की दिनांक 06.4.1973 के आधार पर प्रकरण में परिवार के सदस्यों की आयु संबंधी गणना की जायेगी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.4.05 में परिवार के सदस्यों की आयु संबंधी गणना भूमि के कमाण्ड होने की तारीख 23.7.87 के आधार पर की गई है जो उपर्युक्त प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण विधिसंगत नहीं है। वस्तुतः प्रकरण में परिवार के सदस्यों की आयु संबंधि गणना उपनिवेशन क्षेत्र में अधिनियम लागू होने की दिनांक 06.4.73 की जाना विधिसंगत है। दिनांक 06.4.73 को रेस्पोडेन्ट की एक ही युनिट होनी अभिलेख से प्रमाणित है। जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि सिलिंग सीमा से अधिक है। सिलिंग प्रावधानों के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट 43 बीघा 4 बिस्वा कमाण्ड भूमि धारण में रख सकता है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के धारण में से 43 बीघा 4 बिस्वा कमाण्ड भूमि सिलिंग सीमा के अन्तर्गत उसके पक्ष में रख कर शेष भूमि राज्यपक्ष में अधिगृहण किए जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्राधिकृत अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) इगानप, बीकोनर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.4.2005 को निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के धारण में चक 19 डी.डब्ल्यू.डी. तहसील पूगल की 69 बीघा भूमि में से 43 बीघा 4 बिस्वा कमाण्ड भूमि सिलिंग प्रावधानों के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी के पक्ष में छोडी जा कर शेष सिलिंग सीमा से अधिक धारित भूमि को राजयपक्ष में अधिग्रहण किया जा कर रकबाराज किए जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, पूगल को आदेश दिये जाते हे कि वे रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी से तत्काल 43 बीघा 4 बिस्वा कमाण्ड भूमि जिसे वह रखना चाहता है का विकल्प प्राप्त करें तथा विकल्प के अलावा शेष भूमि को तत्काल बहक सरकार लिया जा कर राजस्व रेकर्ड में अंकन किया जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 20.01.20 को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर